प्रेस विज्ञप्ति जनपद रामपुर दिनांक 06–09–2020

## श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर महोदय श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में की गई कार्यवाही–

### श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के आदेशानुसार जनपद में की गयी चैकिंग

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अरूण कुमार के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 06–09–2020 को समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों द्वारा मुख्य–मुख्य स्थानों पर बैरियर लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों तथा दो पहिया व चार पहिया वाहनों की सघन चैकिंग की गयी तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से व कोवड–19 संक्रमण को देखते हुए मास्क का प्रयोग न करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही लोगों को यातायात नियमों एवं मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस का पालन करने हेतु बताया गया।

थाना मिलक – आयशर केन्टर के मालिक व चालक को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार–

दिनांक 04–09–2020 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा धर्मपुरा मोड पर चैकिंग के दौरान आयशर केन्टर नम्बर यूपी 19 टी 4210 को चैक किया तो केन्टर में लदे वाशिंग पाउडर (होम लाईट) के नीचे अवैध रूप से छुपाई गयीं 130 पेटी अंग्रेजी शराब जिनमें से 75 पेटी मैकडावल, 40 पेटी ब्लैक सिलेक्ट विस्की तथा 15 पेटी इम्पीरियल ब्लू की बरामद हुई थी। चैकिंग के दौरान आयशर केन्टर चालक मौके से फरार हो गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06–09–2020 को थाना मिलक पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर उक्त आयशर केन्टर का मालिक व चालक को बिलासपुर रोड प्लाई ओवर के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:–

(01)–मौहम्मद शाहरूख पुत्र नसीम निवासी मदीना कालौनी सरवत गॉव थाना सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर। (आयशर केन्टर का चालक)

(02)–साजिद अली पुत्र एज्जुद्दीन निवासी लूम्ब थाना छपरोली, बागपत हाल निवासी ग्राम लिलोन कोतवाली व जनपद शामली। (आयशर केन्टर का मालिक)

कार्यवाही :–

मु0अ0सं0–328/20 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,678,471 भादवि के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही हैं।

थाना मिलक :–अवैध रूप से शराब की भट्टी लगाकर कच्ची शराब का निर्माण करते हुए दो अभियुक्तगण गिरफ्तार–

दिनांक 06–09–2020 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा दो अभियुक्तगण को जंगल ग्राम प्राणपुरा के जंगल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण अवैध रूप से कच्ची शराब की भट्टी लगाकर, शराब का निर्माण कर रहे थे जिनके कब्जे से 80 लीटर नाजायज शराब खाम एवं उपकरण बरामद हुए। इस सम्बंध में थाना मिलक, रामपुर पर मु0अ0सं0–330/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भादवि के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:–

(01)–जानकी पुत्र होरीलाल निवासी ग्राम बेहटरा थाना मिलक, रामपुर।

(02)–बलराम पुत्र नीरंजनलाल निवासी ग्राम बेहटरा थाना मिलक, रामपुर।

थाना मिलक :–अवैध रूप से शराब की भट्टी लगाकर कच्ची शराब का निर्माण करते हुए दो अभियुक्तगण गिरफ्तार

## थाना शाहबाद :–40 लीटर नाजायज शराब खाम बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 06–09–2020 को थाना शाहबाद, रामपुर पुलिस द्वारा शिवचरण पुत्र होरी निवासी ग्राम ओसी थाना शाहबाद, रामपुर को ओसी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराब खाम बरामद हुई। इस सम्बधं में थाना शाहबाद, रामपुर पर मु0अ0सं0–391/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## थाना शाहबाद एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 06–09–2020 को थाना शाहबाद पुलिस द्वारा नासिर पुत्र तसलीम निवासी ग्राम ललवारा थाना शाहबाद, रामपुर पुलिस द्वारा ग्राम बल्लुपुरा से किशनपुर को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। इस सम्बंध में थाना शाहबाद, रामपुर पर मु0अ0सं0–392/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।